न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 67 / 2023

वादीगण

1. गोपाराम पुत्र जैवतराम जाति सरगरा निवासी ए–1 जमीदार कॉम्प्लैक्स भोलाव, नंदलाव(पार्ट) भरूच गुजरात
2. भूराराम पुत्र जैवतराम जाति सरगरा निवासी नयाबेरा दीवानजी की प्याउ के पास बिलाडा तहसील बिलाडा
3. माधवप्रकाश देवडा पुत्र कानाराम जाति सरगरा निवासी गायत्री कॉलोनी फूलबाग बिलाडा
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र कानाराम जाति सरगरा निवासी गायत्री कॉलोनी फूलबाग बिलाडा जिला जोधपुर
5. श्रीमति सोनूदेवडा पुत्री कानाराम पत्नी सुनील देवडा जाति सरगरा निवासी आर.के.कॉलोनी सोजतसिटी तहसील सोजतसिटी जिला पाली
6. श्रीमति सुमन पुत्री कानाराम पत्नी नौरतमल जाति सरगरा निवासी गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली
7. श्रीमति सैनी देवी पत्नी कानाराम जाति सरगरा निवासी गायत्री कालोनी फुलबाग बिलाडा तहसील बिलाडा
8. श्रीमति कमला देवी पुत्री जैवतराम पत्नी चैनदेव जाति सरगरा निवासी नाथद्वारा स्कूल रोड बिलाडा तहसील बिलाडा
9. श्रीमति शारदा देवी पुत्री जैवतराम पत्नी अंबालाल जाति सरगरा निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला पाली
10. श्रीमति संतोष पुत्री जैवतराम पत्नी राजूराम जाति सरगरा निवासी निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली
11. श्रीमति रूपा देवी पुत्री जैवतराम पत्नी भगवतीलाल जाति सरगरा निवासी धुवाला तहसील करेडा जिला भीलवाडा
12. श्रीमति मोवनी देवी पत्नी जैवतराम जाति सरगरा निवासी नयाबेरा जोड बिलाडा तहसील बिलाडा

बनाम

प्रतिवादी

सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः–वादी की ओर से श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी – सरकारी पेरोकार।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय

दिनांकः– 07/08/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाडा चक सं. 3 तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4315/17 रकबा 1.6180 हैक्टयर किस्म बारानी चतुर्थ आयी हुयी है। उपरोक्त खातेदारी भूमि वादी सं. 1 से 2 के पिता व वादी सं. 3 से 4 के दादा व वादी सं 5 के ससुर तथा वादी सं. 6 से 11 के पिता व वादी सं. 12 के पति जैवतराम पुत्र पाबूराम की थी। खातेदार जैवतराम पुत्र पाबूराम का देहान्त दिनांक 20.03.2021 को हो गया, जैवतराम पुत्र पाबूराम के तीन पुत्र गोपाराम, भूराराम, कानाराम तथा चार पुत्रीयां कमलादेवी, शारदादेवी, संतोष, रूपादेवी तथा पत्नी मोवनीदेवी है, जिनमें से कानाराम का देहान्त दिनांक 12.08.1992 को हो चुका है। कानाराम के उतराधिकारी उसके दो पुत्र माधवप्रकाश, चन्द्रप्रकाश तथा दो पुत्रियां सोनूदेवडा, सुमन तथा पत्नी सैनीदेवी है। इनके अलावा जैवतराम व कानाराम के प्रथमश्रेणी के कोई उतराधिकारी नही है। खातेदार जैवतराम का फौतेदगी नामान्तरकरण आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में स्वीकृत नही किया गया है। अतः वादीगण जैवतराम पुत्र पाबूराम के वारिशान होने के कारण उनकी खातेदारी भूमि को अपने नाम से घोषित कराने के अधिकारी है। वादी सं. 1 से 2 के पिता व वादी सं. 3 से 4 के दादा व वादी सं.5 के ससुर तथा वादी सं. 6 से 11 के पिता व वादी सं. 12 के पति जैवतराम को घर में लाड प्यार से जवंताराम पुकारते थे और वादी सं. 1 से 2 के पिता व वादी सं. 3 से 4 के दादा व वादी सं. 5 के ससुर तथा वादी सं. 6 से 11 के पिता व वादी सं. 12 के पति जैवतराम का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम जैवतराम लिखा हुआ है। जब वादी सं. 1 से 2 के पिता व वादी सं. 3 से 4 के दादा व वादी सं. 5 के ससुर तथा वादी सं. 6 से 11 के पिता व वादी सं 12 के पति जैवतराम को उक्त भूमि आवंटन/नियमन हुयी तब नाम जंवताराम दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी सं. 1 से 2 के पिता व वादी सं. 3 से 4 के दादा व वादी सं. 5 के ससुर तथा वादी सं. 6 से 11 के पिता व वादी सं. 12 के पति जैवतराम का सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उनका वास्तविक नाम जैवतराम है। वादी सं. 1 से 2 के पिता व वादी सं. 3 से 4 के दादा व वादी सं. 5 के ससुर तथा वादी सं. 6 से 11 के पिता व वादी सं. 12 के पति जैवतराम के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गये और आने पिता/दादा/ससुर की फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी जी के पास गये और अपने सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड राशनकार्ड अनुसुचित जाति प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र(जैवतराम व कानाराम) आदि के दस्तावेज दिये लेकिन हल्का पटवारी जी ने उपरोक्त दस्तावेज देखकर वादीगण को

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

बताया कि आपके पिता/दादा/ससुर/पति का सरकारी दस्तावेज में नाम जैवतराम तथा जमांबदी में जवंतराम लिखा हुआ है। इस कारण नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं हो सकता है। जिस पर वादीगण तहसील कार्यालय गये और तहसीलदार से सम्पर्क किया और नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु निवेदन किया तो उन्होने राजस्व रेकर्ड व सरकारी दस्तावेज देखकर वादीगण को बताया कि आपके पिता/ससुर/पति का जमाबंदी में नाम गलत दर्ज हो गया है। इस कारण आप न्यायालय के समक्ष शुद्धि का दावा पेश करे तब न्यायालय निर्णय के अनुसार आपके नाम भूमि दर्ज कर दी जायेगी। इस कारण वादीगण को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपने पिता/ससुर/दादा/पति जांवताराम के स्थान जैवतराम दर्ज कराने हेतु यह घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का दावा पेश करना पड रहा है। वाद कारण जब वादी सं. 1 से 2 के पिता व वादी सं. 3 से 4 के दादा व वादी सं. 5 के ससुर तथा वादी सं. 6 से 11 के पिता व वादी सं. 12 के पति जैवतराम का देहान्त दिनांक 20.03.2010 को हुआ, उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु अभी दिनांक 21.06.2023 को वादीगण ने हल्का पटवारी व तहसीलदार से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड में अपने पिता/दादा/ससुर/पति की खातेदारी भूमि को अपने नाम दर्ज कराने हेतु का प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन प्रतिवादी ने जमाबंदी में गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना करने से मना कर दिया। वादीगण को वादकरण ग्राम बिलाडा चक सं. 3 तहसील बिलाडा में पैदा हुआ, जो वादकारण निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना वादीगण यह कि दावा वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक सं. 3 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4315/11 रकबा 1.6180 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार जावताराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/8 वां हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/8 वां हिस्सा, वादी सं.3 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 4 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 5 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 6 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 7 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 8 का 1/8 वा हिस्सा, वादी सं. 9 का 1/8 वा हिस्सा, वादी सं. 10 का 1/8 वां हिस्सा, वादी सं. 11 का 1/8 वा हिस्सा , वादी सं. 12 का 1/8 वा हिस्सा की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाने का आदेश फरमावें।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाडा चक 3 के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 364 में खसरा नम्बर 4315/17

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

रकबा 1.6180 हैक्टयर किस्म बा.चतुर्थ में खातेदार जावंतराम पुत्र पाबूराम हिस्सा पूर्ण जाति सरगरा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वर्तमान जमाबंदी नकल संलग्न है। जांवतराम पुत्र पाबूराम का नाम राजस्व रेकर्ड में आवंटन होने से नामा. सं. 1757 के जरिये ख.न. 4315 रकबा 10.00बीघा गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुआ। नामा.की प्रति संलग्न है। ग्राम बिलाडा चक 3 के नामा. सं. 2488 के जरिये जांवताराम पुत्र पाबूराम को गैर खातेदारी से खातेदारी दी गई। नामा. की प्रति संलग्न है। पद सं. 3 से 5 का जवाब वादी स्वयं साबित करें। पद सं. 6 से 8 कानूनी है। वादीगण द्वारा सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि प्रस्तुतकर अपने पिता का नाम जैवतराम होना बताया।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा ग्राम बिलाडा चक 3 के खसरा नम्बर 4315/17 रकबा 1.6180 हैक्टयर में दर्ज खातेदार जावतराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/8, वादी सं. 2 का 1/8, वादी सं. 3 का 1/40, वादी सं. 4 का 1/40, वादी सं. 5 का 1/40, वादी सं. 6 का 1/40, वादी सं. 7 का 1/40, वादी सं. 8 का 1/8, वादी सं. 9 का 1/8, वादी सं. 10 का 1/8वां, वादी सं. 11 का 1/8 वा हि., वादी सं. 12 का 1/8 वां हि. की खातेदारी घोषणा चाही गई है। जिसमें जावंतराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर जैवतराम पुत्र पाबूराम की दुरूस्ती भी चाही गई है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र चन्द्रप्रकाश पुत्र कानाराम का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा नम्बर 4315/17 ग्राम बिलाडा चक 3 , प्रदर्श 2 पहचान पत्र जेवतराम पुत्र पाबूराम, प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र कानाराम पुत्र जैवतराम आदि प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 पहचान पत्र जैवतराम पुत्र पाबूराम, प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण पत्र जैवतराम पुत्र पाबूराम, प्रदर्श 3 आधार कार्ड गोपाराम जैवतराम देवडा पुत्र जैवतराम, प्रदर्श 4 आधार कार्ड भूराराम पुत्र जैवताराम, प्रदर्श 5 मृत्यु प्रमाण पत्र कानाराम पुत्र जैवतराम, प्रदर्श 6 मूल निवास प्रमाण पत्र गोपाराम पुत्र जेवतराम, प्रदर्श 7 आधार कार्ड चन्द्रप्रकाश पुत्र कानाराम, प्रदर्श 8 आधार कार्ड सुमन पत्नी नौरतमल, प्रदर्श 9 सैनी देवी पत्नी कानाराम, प्रदर्श 10 परिवार राशन कार्ड मोवनी देवी पत्नी जैवतराम आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

दस्तावेजात में वादीगण के पिता/दादा/ससुर/पति का नाम जैवतराम पुत्र पाबूराम दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता/दादा/ससुर/पति का नाम जांवताराम पुत्र पाबूराम के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादीगण के राजस्व रेकर्ड में अपने पिता/दादा/ससुर/पति नाम जैवतराम पुत्र पाबूराम की घोषणा कराने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने जांवताराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर जैवतराम पुत्र पाबूराम किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक नं. 3 के खसरा नम्बर 4315/17 रकबा 1.6180 हैक्टयर मे दर्ज खातेदार जांवताराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/8 वां हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/8 वां हिस्सा, वादी सं.3 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 4 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 5 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 6 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 7 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 8 का 1/8 वा हिस्सा, वादी सं. 9 का 1/8 वा हिस्सा, वादी सं. 10 का 1/8वां हिस्सा, वादी सं. 11 का 1/8 वा हिस्सा , वादी सं. 12 का 1/8 वा हिस्सा की घोषणा की जाती है। तथा साथ ही राजस्व रेकर्ड में जांवताराम पुत्र पाबूराम के स्थान जैवतराम पुत्र पाबूराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 7/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस. वादी**
वादीगण

1. गोपाराम पुत्र जैवतराम जाति सरगरा निवासी ए–1 जमीदार कॉम्प्लैक्स भोलाव, नंदलाव(पार्ट) भरूच गुजरात
2. भूराराम पुत्र जैवतराम जाति सरगरा निवासी नयाबेरा दीवानजी की प्याउ के पास बिलाडा तहसील बिलाडा
3. माधवप्रकाश देवडा पुत्र कानाराम जाति सरगरा निवासी गायत्री कॉलोनी फूलबाग बिलाडा
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र कानाराम जाति सरगरा निवासी गायत्री कॉलोनी फूलबाग बिलाडा जिला जोधपुर
5. श्रीमति सोनूदेवडा पुत्री कानाराम पत्नी सुनील देवडा जाति सरगरा निवासी आर.के.कॉलोनी सोजतसिटी तहसील सोजतसिटी जिला पाली
6. श्रीमति सुमन पुत्री कानाराम पत्नी नौरतमल जाति सरगरा निवासी गरनिया तहसील जैतारण जिला पाली
7. श्रीमति सैनी देवी पत्नी कानाराम जाति सरगरा निवासी गायत्री कालोनी फुलबाग बिलाडा तहसील बिलाडा
8. श्रीमति कमला देवी पुत्री जैवतराम पत्नी चैनदेव जाति सरगरा निवासी नाथद्वारा स्कूल रोड बिलाडा तहसील बिलाडा
9. श्रीमति शारदा देवी पुत्री जैवतराम पत्नी अंबालाल जाति सरगरा निवासी निमाज तहसील जैतारण जिला पाली
10. श्रीमति संतोष पुत्री जैवतराम पत्नी राजूराम जाति सरगरा निवासी निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली
11. श्रीमति रूपा देवी पुत्री जैवतराम पत्नी भगवतीलाल जाति सरगरा निवासी धुवाला तहसील करेडा जिला भीलवाडा
12. श्रीमति मोवनी देवी पत्नी जैवतराम जाति सरगरा निवासी नयाबेरा जोड बिलाडा तहसील बिलाडा

बनाम

प्रतिवादी

सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 67 / 2023

निर्णय **दिनांक :–** 07/03/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक नं. 3 के खसरा नम्बर 4315 / 17 रकबा 1.

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
सत्यमेव जयते

6180 हैक्टयर मे दर्ज खातेदार जांवताराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर वादी सं. 1 का 1/8 वां हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/8 वां हिस्सा, वादी सं.3 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 4 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 5 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 6 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 7 का 1/40 वा हिस्सा, वादी सं. 8 का 1/8 वा हिस्सा, वादी सं. 9 का 1/8 वा हिस्सा, वादी सं. 10 का 1/8वां हिस्सा, वादी सं. 11 का 1/8 वा हिस्सा , वादी सं. 12 का 1/8 वा हिस्सा की घोषणा की जाती है। तथा साथ ही राजस्व रेकर्ड में जांवताराम पुत्र पाबूराम के स्थान जैवतराम पुत्र पाबूराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक — की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7/8/24 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा.		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा